विश्व के अनेक देशों में अलग - अलग विषयों पर विभाजन हैं किन्तु पर्यावरण विषय एक ऐसा विषय है जो किसी भी सीमा से परे है, यह सार्वभौम है। विश्व की सामुद्रिक सीमाएं, वायु मण्डल का विस्तार एक अंतः - सम्बद्ध इकाई हैं। वर्तमान आधुनिक विश्व में अब किसी भी प्रकार की सीमाओं, दूरियों का कोई महत्व नहीं रह गया है। विज्ञान और तकनीक तथा विकास के इस दौर में अब "वसुधैव कुटुम्बकम" संकल्पना साकार होती दिखती है।

परन्तु इस अंधाधुंध विकास की दौड़ में मनुष्य ने अपने अस्तित्व के लिए परमावश्यक "पर्यावरण" का अपूर्णीय दोहन किया। मानव द्वारा बड़े पैमाने पर प्रकृति के विभिन्न अंगो जल, वायु, जंगल, जमीन, वन्यप्राणी के साथ मनमाना उपयोग कर इन्हें क्षति पहुंचाई। और आज स्थिति यहाँ तक पहुंच गई की मनुष्य के अस्तित्व पर ही संकट आ खड़ा हुआ है।

औद्योगिकरण, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, गरीबी प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन के कारण प्राकृतिक पर्यावरण में, बाढ़, अकाल, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, हिम शिखरों का पिघलना आदी समस्याओं का जन्म हुआ। इस अनियोजित विकास के परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण आज के समय में वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। यह केवल कुछ देशों की समस्या का विषय नहीं रहा है अपितु पूरे विश्व समुदाय की चिंता का विषय बन गया है।

Scanned by CamScanner

संयुक्त राष्ट्र के गठन के पश्चात् सदस्य राज्यों द्वारा शुरुआती दो दशकों तक पर्यावरण विषय पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी इस अधिकार की जड़े "राजनैतिक एवं नागरिक अधिकार प्रसंविदा 1966" के अनुच्छेद 6 में प्रतिबिम्बित होती है। इसके अनुसार "मानव मात्र को जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार विधि द्वारा संरक्षित होगा। कोई भी मनमाने ढंग से जीवन से वंचित नहीं किया जायेगा।" इस अधिकार को राज्य द्वारा आपातकालीन स्थिति में भी निलम्बित नहीं किया जा सकता है।

इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र द्वारा गृहीत "आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा 1966" के अनुच्छेद 12 में भी स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का अस्तित्व प्रतीत होता है। इसके अनुसार इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों द्वारा नागरिकों के शारीरिक एवम् मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इस हेतु "पर्यावरण एवम् औद्योगिक स्वच्छता के सभी पहलुओं की उन्नति" हेतु सभी राज्य आवश्यक कदम उठाएंगे। इसी प्रकार के उपबंध मानवाधिकारों पर यूरोपियन प्रसंविदा के अनुच्छेद 2, अमेरीकी प्रसंविदा के अनुच्छेद 4, अफ्रीकी चार्टर के अनुच्छेद 4 जैसे क्षेत्रीय अभिसमयों में भी किए गए थे।

यद्यपि इन सभी में "स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार" "प्राण के अधिकार"

Scanned by CamScanner

के अंतर्गत परोक्षतः सम्मिलित माना गया। स्वच्छ एवम् सुरक्षित जीवन का अधिकार में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सम्मिलित है।

भोजन, आवास, कपड़ा, शिक्षा, अन्न, स्वास्थ्य ये सभी आवश्यक आधारभूत जरूरतें हैं जिनका प्रभाव प्रत्यक्षतः जीवन के अधिकार पर पड़ता है और कहीं न कहीं यह सभी पर्यावरण से भी जुड़े हुए हैं। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मानव के सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर प्रभाव डालता है। मनुष्य अपने गरिमा एवम् सम्मान को स्वच्छ पर्यावरण के बिना बनाएं नहीं रख सकता है।

इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे हम 'स्टाकहोम सम्मेलन' के नाम से भी जानते हैं, का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार' को मान्यता दी गई और पर्यावरण के संरक्षण एवं ~~संरक्षण एवम्~~ संवर्धन हेतु प्रयास आरंभ किए गए। सन् 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भी सभी सदस्य राज्यों ने स्वीकार किया कि सभी मानव प्रकृति के जलनीय स्वास्थ्य एवं उपयोगी जीवन के हकदार हैं।

स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसका उल्लेख अलग से किया जा चुका है। कृपया "पर्यावरण विधि" शीर्षक का लेख पढ़ें।

Scanned by CamScanner

भारतीय विधि के अंतर्गत भी "स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार" को मान्यता प्रदान की गयी है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत "स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार" को प्राण के अधिकार के अंतर्गत शामिल माना गया है। शांतिसर बिल्डर्स बनाम नारायन खीमालाल योधमे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्वच्छ व समुचित पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार में सम्मिलित है। प्रसिद्ध भारतीय विधिवेत्ता डॉ. नागेन्द्र सिंह स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि " मानव का स्वच्छ एवम् उचित पर्यावरण में रहने का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो उसके मूल अस्तित्व से सम्बन्धित है। ऐसी दशा जो कि उसके स्वयं के अस्तित्व की जड़ें तक जाती है उसे निःसंदेह एक मानवाधिकार के रूप में प्रतीपित किया जाना चाहिए।"

पर्यावरण एवम् मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य का अस्तित्व बिना साफ व सुरक्षित पर्यावरण के संभव नहीं है। स्वच्छ पर्यावरण में ही मानव गरिमापूर्वक जीवन यापन हेतु आवश्यक संसाधनों की पूर्ति तथा उपभोग कर सकता है। और इसीलिए ही अंतर्राष्ट्रीय एवम् राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों, प्रयासों के माध्यम से इसे स्थापित व संरक्षित करने का प्रयास किया गया जो निरंतर जारी है।

शुद्ध व स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक सामूहिक अधिकार है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि मानव जाति के अस्तित्व को बचाने हेतु इसे संरक्षित करें।

Scanned by CamScanner

नोट : बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी- "भारत का संविधान एवं पर्यावरण" तथा "पर्यावरण विधि" और "ध्वनि प्रदूषण" शीर्षक तत्व भी अवश्य पढ़े।

Scanned by CamScanner